

8/12/18

पत्रावली के तहत हुई वकील शर्मा व्यक्तलय
में छापिए गए हैं तीन-तीन बार वकील
शर्मा व के.के. पटेल के आवाज लगाने
जाने पर भी कोई छापिए नहीं आये हैं
इस प्रकार प्र. सं. 212 R.T.I. Act
अनुसार शर्मा, के.के. पटेल को एन.ए.आय.
स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि
मूल वाद भी खारिज हो चुका है। पत्रावली
को सिल बुद्धार केवर गैरर से भ्रम लेकर
दाखिल देकर है।

सहायक कलेक्टर
आगरा जिला